

समस्त जोनल एंडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विषय : विभागीय आवासीय/कार्यालय भवनों में अनुरक्षण कार्य/ निर्माण/लघु
निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

जैसा कि आप अवगत हैं कि वित्तीय स्वीकृतियों/बजट प्राविधान का यथाआवश्यकता समयान्तर्गत उपभोग किया जाना शासन की प्राथमिकता है तथा इस संबंध में विभिन्न उच्च स्तरों पर इस बिन्दु की निरन्तर समीक्षा भी की जाती है। इस क्रम में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय आवासीय भवन/कार्यालय भवन में मरम्मत कार्य /निर्माण कार्य /लघु निर्माण कार्य कराये जाने की समीक्षा दिनांक 20/06/2019 को आयोजित बैठक में की गई थी, जिसके पत्रांक-201 दिनांक 25.06.2019 निर्गत कार्यवृत्त में आगणन प्रस्ताव शीघ्र मुख्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ आगरा, झांसी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, गोण्डा, मुरादाबाद, बरेली, मुख्यालय, लखनऊ, मऊ के आगणन प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त हुए हैं जिनपर कार्यवाही की जा रही है। शेष जनपदों से आगणन प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त हैं, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रेषित आगणन प्रस्ताव की किन्हीं कारणों से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2019-20 में उन आगणनों की दरों पर कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं से सहमति पत्र या संशोधित आगणन प्रस्ताव तथा यथा आवश्यकता नये प्रस्ताव गठित कराकर मुख्यालय उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर को निर्देशित कर दें तथा स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत आगणन प्रस्ताव मुख्यालय अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 19.07.2019 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में इस बिन्दु पर भी समीक्षा की जायेगी।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

msle

15/7/19

(सुधा वर्मा)

एंडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री. राज
replied to
16.7.19
JCCIT